


प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प .....

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कोटडी  
व भू.अ.नि. कोटडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब  
तहसीलदार गिष्णुचंड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम कोटडी तहसील रेलमगरा व  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 90, 91, 92, 93 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	कोटडी	90 91 92 93	सुरेश पुत्र किशोर जाति - बलाई स्ना. डेड खातेदार	सुरेश पुत्र किशोर जाति - शालवी स्ना. डेड खातेदार

  
पीठासीन अधिकारी  
**उपखण्ड अधिकारी**  
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर, .....

क्रमांक - 12025/136  
प्रतिलिपि -

दिनांक :- 3/10/25

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
पीठासीन अधिकारी  
**उपखण्ड अधिकारी**  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा सहायक कलक्टर, .....